(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 104 **नई दिल्ली,** 16 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' के खंड 1.2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेशनुसार, 31 मार्च 2005 को आदेश सं. टीएएमपी/23/2003–डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता को विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/21/2009–डब्ल्यूएस

आदेश

(अप्रैल, 2010 के 7वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2005 को राजपत्र सं. 39 द्वारा भारत के राजपत्र में 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' अधिसूचित किए गए थे। ये दिशानिर्देश 31 मार्च 2005 से प्रभावी हुए थे और दिशानिर्देशों के खंड 1.2 में यथा विनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि अर्थात 31 मार्च 2010 तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षित अथवा विस्तारित नहीं किया जाता है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने अपने पत्र सं. पीआर–14019/20/2009–पीजी दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा इस प्राधिकरण को सलाह दी है कि 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता को एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाए।

3. तदनुसार, 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 मार्च 2010 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की गई है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा